न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 117 / 2012 निर्णय दिनांक :–31.08.2021

उनवानी वाद :

~~श्योजी पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम चन्दवाड तहसील देवली हाल दूनी, जिला टोंक~~ {मृतक}

1 / 1 मोत्या देवी बेवा श्योजी जाति मीणा निवासी ग्राम चन्दवाड, तहसील देवली हाल दूनी, जिला–टोंक।

1 / 2 मायाराम पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी ग्राम चन्दवाड, तहसील देवली हाल दूनी, जिला–टोंक।

1 / 3 बुद्धि प्रकाश पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी ग्राम चन्दवाड, तहसील देवली हाल दूनी, जिला टोंक।

–वादीगण–

बनाम

1– तहसीलदारजी देवली / हाल दूनी

2– राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक।

3– ग्राम पंचायत चन्दवाड जरिये सरपंच।

–प्रतिवादीगण–

दावा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी को साबिक ख0नं0 1084 में 5 बीघा जमीन दि0 03.12.75 को आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटित की गई थी ओर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर कब्जा संभलाया गया था और उसी समय शीट में तरमीम कर दी गई थी तथा रूबरू गवाहान सुपुर्दगीनामा भी बनाया गया था। तब से लेकर आज तक वादी उक्त जमीन पर काबिज है। हाल ही में देवली तहसील में सेटलमेंट हुआ है ओर सेटलमेंट के दोरान काफी अनियमितताऐं की गई है वादी को अलॉट की गई जमीन के हाल ख0नं0 1574 रकबा 5.40 है0 बना दिये गये है वादी का आज भी ख0नं0 1574 में 1.25 है0 जमीन पर कब्जा है ओर वो ही काश्त कर रहा है उक्त जमीन को वादी की खातेदारी में अंकित किया जाना चाहिए था लेकिन उक्त जमीन को वादी की खातेदारी में अंकित नहीं कर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक / चरागाह अंकित कर दिया गया है। विवादित आराजीयात ख0नं0 1574 में से 1.25 है0 जमीन को वादी की खातेदारी में लगाना चाहिए था लेकिन बिना किसी सक्षम

Bi.86

यालय के आदेश के सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा उक्त जमीन को सिवायचक/चरागाह अंकित कर दिया गया है। जब कि उसे वादी की खातेदारी में अंकित किया जाना चाहिए था इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी का श्रीमान् की सेवा में पेश है। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते है इस कारण उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा भी पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वें स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नोकर के वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें। विवादित आराजीयात इस समय गांव के जानवारों के चरने के काम नहीं आती है मौके पर वादी का कब्जा है। उक्त वाद में राज्य सरकार व उसके प्रतिनिधि को पक्षकार बनाया गया है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त वाद बिना नोटिस 80 सीपीसी दिये ही श्रीमान की सेवा में पेश है। दफा 80{2} सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। बिनाय दावा आज से 10 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विवादित जमीन से बेदखल करने की कोशिश की गई जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादित आराजीयात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 3 नियत तारीख पेशी में अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:— पेरा नं0 1 मुताबिक आवंटन आदेश स्वीकार है। पेरा नं0 2 अस्वीकार है। हाल ख0नं0 1574 रकबा 5.40 के साबिक ख0नं0 1046, 1083, 1047, 1084, 1088 शामिल है। पेरा नं0 3 अस्वीकार है। पेरा नं0 4 माननीय न्यायालय से संबंधित है। पेरा नं0 5 अस्वीकार है। कब्जे के साक्ष्य नहीं लगायें। पेरा नं0 6 कानूनी है। पेरा नं0 7 में भूमि पर सिवायचक/चरागाह होने पर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही होती है। पेरा नं0 8, 9 माननीय न्यायालय से संबंधित है। अतः हाल ख0नं0 1574 रकबा 5.40 है0 साबिक ख0नं0 1046, 1083, 1047, 1084, 1088 से बने है। अतः ख0नं0 1046, 1083, 1047, 1088 वादी को आवंटन नहीं हुआ है। कब्जे के साक्ष्य भी नहीं है। दावा निरस्त योग्य है।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 मायाराम पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी चन्दवाड़ तहसील दूनी व पी. डब्ल्यू–2 कल्याण पुत्र देवीलालं जाति बैरवा उम्र 75 वर्ष निवासी चन्दवाड़ तहसील दूनी जिला टोंक के पेश किये। वादी ने प्रदर्श दस्तावेज करवाये जो इस प्रकार है:— आवंटन आवेदन फार्म प्रदर्श–1 आवंटन आदेश प्रदर्श – 2 तरमीम शीट प्रदर्श–3, सुपुर्दगी नामा प्रदर्श–4, साबिक शीट प्रदर्श–5, साबिक जमाबंदी 2020–21 प्रदर्श–6, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–7, P–14 संवत् 2074 प्रदर्श–8, हाल शीट–9, P–14 संवत् 2073 प्रदर्श–10, जमाबंदी प्रदर्श–11 पेश किये है।

पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई।

पैरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से पत्रावली में प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में हुबहु वाद के तथ्य पेश करते हुए कथन किया कि वादी को साबिक ख. नं. 1084 में 5 बीघा का आवंटन हुआ था और पटवारी ने मौके पर कब्जा संभलाया था तब से अब तक इसी भू भाग पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंन्ट आने के बाद सेटलमेंन्ट अधिकरीयो साबिक ख. नं. 1084 से हाल ख. नं. 1574 रकबा 5.40 है0 बना दिये गये है जिसमें से वादी 1.25 है0 पर आज भी काबिज काश्त है। सेटलमेंन्ट अधिकारीयों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड के चारागाह/सिवायचक अंकित कर दिया, जो कि गलत है, कुठाराघात है। इसलिए वादी को यह वाद चारागाह/सिवायचक अंकन को हटवाकर खातेदारी प्राप्त करने के लिए पेश किया है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया कि सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने तत्समय की परिस्थिति को देखते हुए व उस समय वादी का कब्जा काश्त नहीं होने से विवादित भूमि को सिवायचक/चरागाह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया है जो सही है। वादी ने उस समय से लेकर अब तक के कब्जेकाश्त के सबूत भी पेश नहीं किये है। अतः वाद खारिज योग्य है।

<u>तनकीवार निर्णय</u> :—

1. आया वादी विवादित हाल ख0नं0 1574 रकबा 1.25 है वाके ग्राम चन्दवाड की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड के हकदार है ? —वादी—

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने इसके पक्ष में आवंटन आवेदन फार्म प्रदर्श—1 आवंटन आदेश दिनांक 03.12.75 पेश किया जिसमें वादी श्योजी पुत्र नारायण मीणा को ख. नं. 1084 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन किया हुआ है। प्रदर्श – 2 अनाधिकृत सिवायचक भूमि का पट्टा जिसमें वार्षिक लगान 3 रूपये 10 पैसे का अंकन है। तरमीम शीट प्रदर्श—3 व सुपुर्दगी नामा प्रदर्श—4 व साबिक शीट प्रदर्श—5 वाद के समर्थन में पेश किये साबिक जमाबंदी 2020—24 में साबिक ख. नं. 1084 जिमन नं. 1 (क) सरकारी जमीने खाता मिलकियत सरकार के नाम दर्ज दर्शित है। प्रदर्श—6, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046—65 में ख. नं. 1046, 1083 मिन, 1047 मिन, 1084 मिन व 1088 मिन से ख. नं. हाल ख. नं. 1574 बने है, जिनसे यह स्पष्ट नहीं है कि ख. नं. 1084 मिन से ही ख. नं. 1574 बना हो। वादी ने प्रदर्श प्रदर्श—10 व P—14 व 15 संवत्

Rl.2k

2073 व 2074 की पेश की है जिनमें 0.50 है0 व 0.25 है0 पर ही वादी के वारिसान का कब्जा काश्त दर्शाया गया है। वादी को अपना कब्जा साबित करने के लिए आवंटन से लेकर अब तक की सभी वर्षो की पी–14 पेश करनी चाहिए थी । अतः आवंटन से लेकर अब तक सम्पूर्ण वर्षो का कब्जा साबित नहीं होने व मिलान क्षेत्रफल से भी पूर्णतया साबित नहीं होने के अभाव में इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष किया जाता है।

2. **आया प्रतिवादी पैरोकार सरकार हाल ख0नं0 1574 साबिक ख0नं0 1046, 1083, 1047, 1088 से बना है और साबिक ख0नं0 वादी को आवंटन न होने से वाद खारिज योग्य है?**

–पेरोकार सरकार–

इस तनकी को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था। तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार पेरोकार सरकार ने इस तनकी को बखुबी साबित किया है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी पेरोकार सरकार के पक्ष में किया जाता है।

3. **अन्य अनुतोष**

अन्य अनुतोष पत्रावली में वांछित नहीं है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विश्लेषण व विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में आवंटन से लेकर अब तक सम्पूर्ण वर्षो का कब्जा साबित नहीं होने व मिलान क्षैत्रफल से भी वादी का वाद पूर्णतया साबित नहीं होने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

बज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो..............................

उनवानी दावा :

~~श्योजी पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम चन्दवाड तहसील देवली हाल दूनी, जिला टोंक~~ {मृतक}

1/1 मोत्या देवी बेवा श्योजी जाति मीणा निवासी ग्राम चन्दवाड, तहसील देवली हाल दूनी, जिला–टोंक।

1/2 मायाराम पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी ग्राम चन्दवाड, तहसील देवली हाल दूनी, जिला–टोंक।

1/3 बुद्धि प्रकाश पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी ग्राम चन्दवाड, तहसील देवली हाल दूनी, जिला टोंक।

—वादीगण—

बनाम

1– तहसीलदारजी देवली/हाल दूनी

2– राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक।

3– ग्राम पंचायत चन्दवाड जरिये सरपंच।

—प्रतिवादीगण—

<u>दावा स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 117 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिंनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार व एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

विवादित आराजी के सम्बन्ध में आवंटन से लेकर अब तक सम्पूर्ण वर्षो का कब्जा साबित नहीं होने व मिलान क्षेत्रफल से भी वादी का वाद पूर्णतया साबित नहीं होने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....खर्चा

इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 08 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए